न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 115/2020(2020/00282)

1. कुमारी बाली पुत्री श्री शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 28 वर्ष
2. कुमारी खुशी पुत्री श्री शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 15 वर्श जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति सीता देवी द्वितीय पत्नी श्री शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 47 वर्ष
3. श्रीमति सीता देवी प्रथम पत्नी श्री शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 63 वर्ष
4. श्रीमति सीता देवी द्वितीय पत्नी श्री शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 47 वर्ष, समस्त जाति जाट निवासीगण जयपुर रोड, गुजरवाड़ा, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––वादीगण

बनाम

1. रामधन जाट पुत्र श्री बिरधा जाट, उम्र 45 वर्श, जाति जाट, निवासी जयपुर रोड़, गुजरवाड़ा, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. मदन जाट पुत्र श्री बिरधा जाट (मृतक) जरिये वारिस रामराज दत्तक पुत्र मदन जाट जाति जाट, निवासी जयपुर रोड़, गुजरवाड़ा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. विकास दत्तक पुत्र शिवराज उर्फ सोराज, उम्र 18 वर्श, जाति जाट, निवासी जयपुर रोड़, गुजरवाड़ा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, तहसील परिसर केकड़ी जिला अजमेर

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल – वकील वादीगण
श्री सीमाराम गुप्ता – वकील प्रतिवादीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित 151 जाप्ता दीवानी)

आदेश

दिनांक 14.11.2022

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया, जो निम्नानुसार हैः–

वादीगण ने एक वाद पत्र वास्ते पंजीवद्ध रिलीज डीड दिनांक 18.12.2015 क्रम संख्या 5495/15, रिलीज डीड दिनांक 18.12.2015 क्रम संख्या 5496/15 एवं विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2015 क्रम संख्या 5496/15 को मूलतः प्रारम्भतः शून्य घोषित करने एवं सहायक अनुतोष के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित करने सहित अन्य अनुतोषों हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। वादी ने अपने वाद पत्र के पेरा संख्या 7 में अभिवचनित किया है कि तथाकथित रूप से उक्त दोनों रिलीज डीड पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धोखे से हस्ताक्षर करवाते समय वादी संख्या 1 व 2 नाबालिग थे तथा अपना भला समझने एवं विधिक हक व अधिकारों को संरक्षित किये जाने में असमर्थ थी। साथ ही यह भी अभिवचन किये कि नाबालिक की सम्पत्ति व सम्पत्ति में किसी हिस्से का विक्रय अथवा अन्तरण तब ही किया जा सकता है जबकि ऐसा करना नाबालिग के हितार्थ अत्यावश्यक व अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा हो परन्तु उक्त दोनों रिलीज डीड में वादी संख्या 1व 2 की ऐसी किसी आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है। वादीगण द्वारा किये गये उक्त तथाकथित अभिवचनों से तथाकथित रूप से उक्त दोनों रिलीज डीड हिन्दू अप्राप्तवयता व संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में मूल रूप से यह अभिवचन किये है कि विक्रय पत्र व दोनों रिलीज डीड तथाकथित रूप से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगा से कपट कर व धोखा देकर निश्पादित करवायी गई है। उक्त तथाकथित अभिवचनों के अनुसार उक्त तीनों दस्तावेज भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के तहत शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आता है। चूंकि उपरोक्त वर्णानुसार वादीके अभिवचनों से उक्त तीनों दस्तावेज तथाकथित रूप से शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। विधि अनुसार यदि कोई भी दस्तावेज शून्यकरणीय होता है तो उसे शून्य घोषित करने को क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को न होकर केवल मात्र दीवानी न्यायालय को प्राप्त है जिस कारण वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर केवल मात्र दीवानी न्यायालय को होने से वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 से वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी अभिवचन किये हैं कि उक्त दोनों रिलीज डीड व विक्रय पत्र तथाकथित रूप से विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर व कपट पूर्वक विधि विरुद्ध जाकर निश्पादित करवाये गये हैं। विधि अनुसार कोई भी दस्तावेज वैध हैं या अवैध इसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार एक मात्र रूप से केवल दीवानी न्यायालय को प्राप्त है अतः इस कारण भी वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर केवल मात्र दीवानी न्यायानय को होने से उक्त वाद पत्र राजस्थान का ताकरी अधिनियम धारा 207 से वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसार निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त कारणवश उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होने के कारण वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः निवेदन है क प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त करने की कृपा कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किये जाने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है। वादीगण द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित होने के मुख्य अनुतोष के साथ अन्य सहायक अनुताष प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन के संबंध में प्रतिउत्तर है कि वादपत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित अभिवचन के अनुसार वादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी विधिक स्थिति तथा अपने अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वादी संख्या 1 व 2 के नैसर्गिक संरक्षक द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को नाबालिग के हितों के विपरीत अन्तरित नहीं किया गया बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी संख्या 1 व 2 के नैसर्गिक संरक्षक से धोखे से हस्ताक्षर तथा अंगूठा निसानी करवाये जाकर उक्त दस्तावेज निश्पादित करवा लिये गये जो कि प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उक्त दोनों रिलीज डीड अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण से झूठ बोलकर एवं धोखे से हस्ताक्षर कराये जाकर उक्त दस्तावेज निष्पादित करवा लिये गये जो कि प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। उक्त चरण मे शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

चरण संख्या 4 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं यह अस्वीकार है कि उक्त तीनों दस्तावेज शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आते हो बल्कि उक्त तीनों दस्तावेज वादी संख्या 1 व 2 के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज हैं विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राम्भतः शून्य दस्तावेज के संबंध में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत वर्जित नहीं होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पोशणीय है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार हैं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं यह अस्वीकार है कि कोई भी दस्तावेज गलत होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि कोई भी दस्तावेज वैध है या अवैध इसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार एक मात्र रूप से केवल दीवानी न्यायालय को प्राप्त हो अतः इस कारण भी वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर मात्र दीवानी न्यायालय को होने से उक्त वाद निरस्त होने योग्य हो। वस्तुस्थिति यह है कि वादीगण द्वारा उक्त तीनों दस्तावेज प्रारम्भतः शून्य होने के आधार पर प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा का अनुतोश चाहा गया है जो अनन्य रूप से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। दस्तावेज की वैधता तथा अवैधता किसी विशिष्ट न्यायालय द्वारा तय किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 6 व 7 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं यह अस्वीकार है कि उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से निरस्त किया जाना आवश्यक हो। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की मंशा से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रतिवादी संख्या 1 की दुराश्यपूर्ण मंशा को दर्शाता है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खर्चे सहित खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करें।

बहस में प्रतिवादी संख्या–1 ने लिखित बहस पेश कर बताया कि वादीगण ने यह वाद पंजीबद्व रिलीज डीडी संख्या 5495/2015, रिलीज डीडी संख्या 5496/2015 व पंजीवद्व विक्रय पत्र संख्या 5496/2015 को मूलतः प्रारंभतः शून्य घोषित करने व सहायक अनुतोष के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित करने सहित अन्य अनुतोषो हेतु प्रस्तुत किया है वादीगण द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसके पैरा संख्या 7 व 9 में उक्त दस्तावेजों को प्रारंभत शून्य व अप्राथी घोषित करने की प्रार्थना की गई है तथा अनुतोष के पैरा संख्या 1 में यह स्पष्ट प्रार्थना की गई है कि उक्त दस्तावेजों को प्रारंभत शून्य घोषित करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी इससे स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का मुख्य अनुतोष इन दस्तावेजो को शून्य घोषित करवाना है तत्पश्चात सहायक अनुतोष के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित होना है वाद पत्र का मुख्य उदेश्य इन पंजीकृत दस्तावेजों को शून्य घोषित करवाना है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रथमः अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2, 3 व 4 में वर्णित इन आधारों पर प्रस्तुत किया है कि उक्त दोनों रिलीज डीड व विक्रय पत्र वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार शून्य करणीय दस्तावेजों की श्रेणी में आते है तथा विधिनुसार शून्यकरणी दस्तावेजों की श्रेणी में आते है तथा विधिनुसार शून्यकरणीय दस्तावेजों को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर केवल मात्र दीवानी न्यायालय को प्राप्त है जिस कारण वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही होने से वाद निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में वताया कि विधिनुसार कोई दस्तावेज वैद्य है या अवैध इसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार एकमात्र रूप से केवल दीवानी न्यायालय को प्राप्त है माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय Lal singh v/s LRS of Dayala में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है अतः इस कारण भी वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही होने से वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त होने योग्य है उक्त वहस के विन्दुओं व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से यह पूर्णताया स्पष्ट है कि वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही है तथा दीवानी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय को प्राप्त है जिस कारण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत निरस्त किया जाना आवश्यक है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत नामंजूर किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण पेश किये जो निम्नानुसार है

1. फोटो प्रति धारा 8 हिन्दु अप्राप्तवय एवं संरक्षकता अधिनियम 1956
2. फोटो प्रति धारा 19 भारतीय संविदा अधिनियम 1872
3. 2018(1)CJ(Civil) Rajasthan page 589-PARA 35
4. 2018(3) RLW 2396(Raj-) Sunil v/s Shakuntla
5. RBD 1988 page 610-
6. RBJ 2003-page 131-PARA-11
7. RRD 1995 page 760-PARA-07
8. RRD 1993 page 505-PARA 9
9. RRD 1993 page 505-PARA 9
10. RRD 1984 page 482-PARA 11&12
11. RRD 1994 page 329
12. Rasal khan vs Gobruda raj sarkar date 3-3-14

वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि वादीगण द्वारा वाद में प्रश्नगत विक्रयपत्र को प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज होने बाबत् अभिवचन किये गये है तथा वादीगण द्वारा उक्त वाद में मुख्य अनुतोष के रूप में खातेदारी घोषणा तथा विभाजन का अनुतोष चाहा गया है विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत किया जा सकता है तथा राजस्व वाद में विक्रयपत्र को प्रारम्भतः शून्य अथवा शून्य घोषित करने का अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नही करता है इसलिए उक्त वाद पत्र के समर्थन में उद्धरण 2014(1)534(HC) Pratap (SMt) vs Jhamku & Ors., 2015(1) RRT 474(HC) Modu ram vs Board of Revenue&Ors., 2008(2) RRT 850 Banshidhar &Ors. Vs Hanuman &Ors., 1982 RRD 595 Chiddu vs Bhagwan Singh , 2017(2) RRT 902 (HC) Bhagwana Ram Chamar vs Gurmaje Kure Majbi, 2019(1) RRT 116 Badri Lal Vs Sharda&Ors. पेश किये। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील पक्षकार की बहस पर गौर किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी द्वारा स्वयं ही रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है तथा पंजीबद्व विक्रय पत्र को मूलतः शून्यकरणीय घोषित किया जाने का अधिकार इस न्यायालय का नही होने से दावा विधि द्वारा वर्जित है अतः प्रतिवादी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विलास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (किशनगढ़–अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)